न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

41

ललन सिंह पिता मनोहर सिंह, उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम ऊँची औनी पटवारी हल्का नेगुरा, तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0 ....आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

R 5018-पी/16

01. दिनेश सिंह पिता युधिष्ठिर सिंह निवासी ग्राम ऊँची औनी, पटवारी हल्का नेगुरा, तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

02. शासन म0प्र0

.......अनावेदक / गैर निगरानीकर्तागण

श्री ... द्वारा आज दिनांक 8-01-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल त्योंथर जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रं0 42 / अ--12 / 2013--14 आदेश दिनांक 07.07.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू--राजस्व संहिता 1959

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अ-- यह कि गैरनिगरानीकर्ता क्रं0 1 द्वारा भूमि आराजी नं0 176, 197 / 1, 227 / 1, 342 / 2 / 227 क्रमशः रकवा 0.162, 0.085, 0.570, 0.194 स्थित ग्राम ऊँची औनी, पटवारी हल्का नेगुरा, तहसील त्योंथर जिला रीवा में स्थित है जिसका सीमांकन का आवेदन न्यायालय राजस्व निरीक्षक त्योंथर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक के निर्देशानुसार पटवारी हल्का नेगुरा द्वारा उक्त भूमियों का सीमांकन करने के पूर्व सूचना पत्र जो दिनांक 14.06.2014 को जारी होना दर्शित किया गया जबकि सीमावर्ती कृषको को व निगरानीकर्ता को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई बल्कि निगरानीकर्ता के सूचना पत्र पर फर्जी

ललन सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5010–दो/16 जिला –रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२०.7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रकाश तोमर उपस्थित होकर राजस्व निरीक्षक मण्डल त्यौथर जिला रीवा प्रकरण कमांक 42/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 7.7.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की। 2–प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि भूमि आराजी न0 176, 197/1, 227/1, 342/2 227 कमशः रकवा 0.162, 0.085, 0.570, 0.194 स्थित ग्राम ऊंची औनी पटवारी हल्का नेगुरा तहसील त्योंथर जिला रीवा में स्थित है जिसका सीमांकन का आवेदन न्यायालय राजस्व निरीक्षक त्यौथर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक के निर्देशानुसार पटवारी हल्का नेगुरा द्वारा उक्त भूमियों का सीमांकन करने के पूर्व सूचना पत्र जो दिनांक 14.5.14 को जारी होना दर्शित किया गया जबकि सीमावर्ती कृषकों	

को व निगरानीकर्ता को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई बल्कि आवेदक के सूचना पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सूचना देना लेख किया गया व दिनांक 15.6.14 हल्का पटवारी नेगुरा द्वारा स्थायी सीमा चिन्ह निधारित किये बिना सीमांकन कर सरहदी काश्तकारों के फर्जी हस्ताक्षर पंचनामें पर फर्जी हस्ताक्षर हैं। आवेदक कमांक-1 की आपत्ति को निरस्त करते हुये दिनांक 7.7.14 को राजस्व निरीक्षक त्यों थर द्वारा सीमांकन की पुष्टि कर दी गई जिसके विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक त्योंथर द्वारा विधि एवं प्रकिया का सीमांकन किये जाने के पूर्व पालन नहीं किया गया जिससे राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 7.7.14 निरस्त करने का निवेदन किया है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी कहना है कि सीमांकन करते समय सरहदी कास्तकारों को सूचना नहीं दी। और न ही हल्का पटवारी नेगुरा द्वारा सीमांकन की कार्यवाही करने के पूर्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा नियमों का पालन नहीं किया।

4–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने । उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया।

5– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्कानुसार एवं अभिलेख का अध्ययन करने पर पाया गया कि ललन सिंह पुत्र मनोहर सिंह की आपत्ति प्रस्तुत की गई सीमांकन के समय पटवारी द्वारा सूचना नहीं दी गई । जबकि तहसीलदार अपने आदेश पत्रिका दिनांक 7.7.14 में लेख किया है कि ''सूचना पत्र में ललन सिंह के हस्ताक्षर बने हुये हैं ,, जबकि सूचना पत्र का मेरे द्वारा अवलोकन करने पर पाया गया कि सीरियल कमांक –2 पर ललन सिंह पुत्र मनोहर सिंह किसी के हस्ताक्षर बनाकर कटे हुये है जो पढ़ने में अस्पष्ट हैं तथा उसी के आगे ''लतन सिंह ,, लिखा गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक ललन सिंह को सूचना नहीं हुई है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूॅ कि पटवारी द्वारा ललन सिंह को सूचना नहीं दी गई है । अतः राजस्व निरीक्षक मण्डल त्यौंथर जिला रीवा का प्र0क0 42/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 7.7.14 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार त्योंथर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये तीन माह में प्रकरण का निराकरण करें ।

सदस्य